



2026:AHC:24970

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या – 1539 /2026

रेखाई प्रसाद गौतम

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	महेंद्र कुमार खरे, मृत्युंजय खरे
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता वर्तमान रिट याचिका को वापस लेना चाहते हैं, जिसमें निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की गई थीं:— (I) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश/निर्देश जारी करें, जिसके माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देशित किया जाए कि वह याचिकाकर्ता के दिनांक 28.06.2025 के प्रतिवेदन का निस्तारण माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर शीघ्रता से करे; (II) कोई अन्य उपयुक्त आदेश या निर्देश जारी करें जो यह माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और ठीक समझे; (III) याचिका की लागत याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रदान करें। अधिवक्ता ने अंतर्निहित तकनीकी दोष के कारण याचिका वापस लेने और नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता की मांग की है।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. वर्तमान याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।

(विकास बुधवार, जे.)

4 फरवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"